

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

वि.आप.प्रक.क्रमांक-23 / 2013

संस्थित दिनांक-09.01.2013

1. श्रीमती सीताबाई उम्र 34 साल पति हिरनदास
2. दिव्यांश ग्वाल उम्र 8 साल पिता हिरनदास, अवयस्क
वली मां सीताबाई पति हिरनदास निवासी रेंहगी
हाल मुकाम वार्ड नं० 8 कम्पाण्डरटोला बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

----- आवेदकगण

// विरुद्ध //

हिरनदास उम्र 42 साल पिता दादीदास जाति पनिका
निवासी रेंहगी थाना मुलाजखण्ड जिला बालाघाट(म.प्र.)

----- अनावेदक

// आदेश //

(आज दिनांक-01/09/2015 को पारित)

- 1- इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-127 दण्ड प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।
- 2- प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदकगण ने अनावेदक के विरुद्ध पूर्व में श्री जयदीप सोनवर्से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर के न्यायालय में आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता वास्ते भरणपोषण राशि दिलाये जाने बाबत पेश किया गया था। उक्त विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 8/9 में न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.05.2010 को आवेदकगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार कर आवेदक क्रमांक 2 को 300/- रुपये प्रतिमाह भरणपोषण राशि प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया था।
- 3- आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक क्रमांक 2 को भरणपोषण राशि 300/- रुपये प्रतिमाह में उसकी शिक्षा-दीक्षा, चिकित्सा एवं खाने-पीने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है तथा मंहगाई के कारण आवेदक क्रमांक 2 को 2000/- रुपये प्रतिमाह खर्च आता है जिसे उसकी माता सीताबाई इधर-उधर से मांगकर गुजर बसर कर रही है। अनावेदक साधन सम्पन्न व्यक्ति है,

ठेकेदारी के पेशे से 5,00,000/- रुपये और कृषि से 2,00,000/- रुपये वार्षिक आमदनी प्राप्त करता है। अतएव आवेदक क्रमांक 2 दिव्यांश को भरणपोषण हेतु 2000/- रुपये की राशि प्रतिमाह अनावेदक से दिलायी जावे।

4- अनावेदक ने उक्त आवेदन के जवाब में व्यक्त किया है कि अनावेदक के संरक्षण में उसकी चार सन्तानें हैं जिनके भरणपोषण, शिक्षा आदि का खर्च अनावेदक बड़े मुश्किल से वहन कर रहा है। अनावेदक भूमि हीन तथा मजदूर व्यक्ति है आवेदक क्रमांक 1 सीताबाई बालक छात्रावास बैहर में चौकीदार के पद पर पदस्थ है और खाना बनाने का भी काम करती है जिससे उसे 8000/- रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। आवेदक क्रमांक 1 माँ होने के कारण अपनी पुत्र आवेदक क्रमांक 2 दिव्यांश का भरणपोषण करने हेतु सक्षम है। अतः आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आवेदक क्रमांक 2 अनावेदक से भरणपोषण भत्ता में परिवर्तन कर अधिक राशि प्राप्त करने का हकदार है ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

6- आवेदिका सीताबाई (आ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुये व्यक्त किया है कि अनावेदक हिरनदास उसका पति है एवं दिव्यांश उनका पुत्र है। दिव्यांश उसके साथ में रहता है। उसके पुत्र दिव्यांश की लिखाई-पढ़ाई, खाना खर्चा उसके द्वारा किया जाता है। अनावेदक प्रतिमाह 300/- रुपये देता है जिससे निर्वाहन/खर्चा करती है। 300/- रुपये में उसकी तथा उसके बच्चे का गुजारा नहीं होता है। प्रतिमाह खाना-पीना, दवाई, पढ़ाई- लिखाई में 5000/- रुपये का खर्चा आता है। दिव्यांश कक्षा चौथी में पढ़ता है। दिव्यांश का पिता अनावेदक हिरनदास ठेकेदारी का काम करता है एवं इसके अलावा खेती का काम भी करता है। अनावेदक को 5,00,000/- रुपये वार्षिक आमदानी हो जाती है। वह उसके पुत्र दिव्यांश को प्रतिमाह होने वाले 5000/- रुपये का खर्च का भुगतान करने के लिये असमर्थ है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि हिरनदास की पांच सन्तानें हैं। महेन्द्र, कुमारी किरण, देवेन्द्र, ऋषभ तथा दिव्यांश है। अनावेदक हिरनदास की दूसरी पत्नी भी उसके साथ रहती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पास खाने-पीने की पर्याप्त व्यवस्था है इसलिये वह बनी मजदूरी करने नहीं

जाती। साक्षी ने उसके द्वारा बालक छात्रावास में खान बनाने के काम में प्रतिमाह 6000/- रुपये मजदूरी प्राप्त होने से इन्कार किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन का उसके प्रतिपरीक्षण में खण्डन नहीं हुआ है।

7- आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी कमलाबाई (आ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आवेदिका और उसके पुत्र दिव्यांश को पहचानती है। आवेदकगण वर्तमान में आवेदिका के मायके कम्पाण्डरटोला में रहते हैं। आवेदिका कुछ नहीं करती तथा उसका पुत्र दिव्यांश कक्षा तीसरी में पढ़ता है। आवेदकगण के भरण-पोषण की व्यवस्था कोई नहीं करता। आवेदकगण के पक्ष में 300/- रुपये की राशि का भरणपोषण का आदेश हुआ है। आवेदकगण को प्रतिमाह 5000/- रुपये का खर्चा आता है। अनावेदक ठेकेदार है तथा उसके पास खेती बाड़ी भी है। अनावेदक के साथ उसकी माँ और दूसरी पत्नी व बच्चे रहते हैं। उक्त साक्षी के कथन का अनावेदक की ओर से खण्डन प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है।

8- आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्षीगण के कथन से यह प्रकट होता है कि आवेदक क्रमांक 2 दिव्यांश वर्तमान में उसकी माता सीताबाई के साथ निवास करता है तथा उसके भरणपोषण व पढ़ाई-लिखाई का खर्चा माँ सीताबाई वहन कर रही है। सीताबाई के पास आय अर्जित करने का कोई साधन होना प्रकट नहीं होता है। अनावेदक की ओर से खण्डन में स्वयं या अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य नहीं करायी है। अनावेदक के द्वारा उसके पुत्र आवेदक दिव्यांश के भरणपोषण हेतु न्यायालय द्वारा आदेशित राशि 300/- रुपये आवेदक दिव्यांश को अदा करने के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

9- मूल प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2010 में अनावेदक द्वारा तत्कालीन समय में मजदूरी का कार्य कर दो से ढायी हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित किये जाने के उपधारणा करते हुये आवेदक क्रमांक 2 दिव्यांश को 300/- रुपये भरणपोषण राशि अदा किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश में इस तथ्य पर भी विचार किया गया है कि अनावेदक के आवेदक दिव्यांश के अलावा चार अन्य सन्ताने हैं, जिनके भरणपोषण की जिम्मेदारी अनावेदक पर है। इस प्रकार वर्तमान समय में अनावेदक हिरनदास के द्वारा हष्ट-पुष्ट व्यक्ति होकर मजदूरी का कार्य करते हुये प्रतिमाह तीन से चार हजार रुपये आय अर्जित करने की उपधारणा

की जा सकती है। आवेदक दिव्यांश के पिता के रूप में अनावेदक पर उसके भरणपोषण का विधिक दायित्व है, जिससे वह इस आधार पर नहीं बच सकता कि आवेदक दिव्यांश की माता सीताबाई उसका भरणपोषण कर रही है। न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेशित भरणपोषण राशि 300/- रुपये प्रतिमाह पांच वर्ष पूर्व तय की गई थी, जिसे वर्तमान की परिस्थितियों में मंहगाई दर बढ़ जाने तथा आवेदक दिव्यांश के शिक्षा हेतु स्कूल में जाने से उसे और अधिक भरणपोषण राशि की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

10- प्रकरण में प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य, परिस्थिति एवं तथ्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदक क्रमांक 2, उसको अनावेदक द्वारा देय भरणपोषण राशि में परिवर्तन कर भरणपोषण राशि में बढ़ोत्तरी करने का हकदार है। फलस्वरूप आवेदकगण का आवेदन स्वीकार कर उभयपक्ष के जीवनस्तर को ध्यान में रखते हुये अनावेदक द्वारा भरणपोषण राशि 300/- (तीन सौ) रुपये के स्थान पर बढ़ाकर 500/- (पांच सौ) रुपये प्रतिमाह भरणपोषण राशि आदेश दिनांक से आवेदक क्रमांक 2 दिव्यांश को अदा किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट